छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

आज दिनांक 01 .मार्च, 2009 को अपराह्न 1:30 बजे कार्यपरिषद की बैठक सेन्टर फॉर एकेडमिक्स में सम्पन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया:

1.	प्रो. हर्ष कुमार सहगल	कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पी0सी0 शर्मा	पूर्व प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, बी0-35, सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ	सदस्य
3.	डॉ0 आनन्द स्वरूप	अधिष्ठाता, चिकित्सा संकाय, जी.एस.वी.एम. मेडिकल कालेज, कानपुर	सदस्य
4.	प्रो0 एल0सी0 मिश्रा	आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	सदस्य
5.	प्रो0 आर0सी0 कटियार	आचार्य, व्यवसाय एवं प्रबन्धन संस्थान, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
6.	डॉ0 एच0एन सिंह	प्राचार्य, श्री गांधी पी0जी0 कालेज, कानपुर	सदस्य
7.	डॉ0 अजब सिंह यादव	प्राचार्य, वी0जी0एम0 महाविद्यालय, दिबियापुर, औरैया,	सदस्य
8.	डॉ0 एस0के0 सक्सेना	भौतिक विज्ञान विभाग, डी.बी.एस. कालेज,, कानपुर	सदस्य
9.	डॉ0 आर0पी0 श्रीवास्तव	गणित विभाग, डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर	सदस्य
10.	श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा	वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	पदेन सदस्य
11.	श्री महेश चन्द्र	कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सचिव

कार्य-विवरण :-

माननीय कुलपति जी द्वारा कार्यपरिषद के समस्त उपस्थित सदस्ये के स्वागतोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं0-03/06/सी.एस.जे.एम.यू./आर-कैम्प/3554/06 दिनांक 26.08.2006 द्वारा विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित 6 शैक्षिक संस्थानों/विभागों में शैक्षिक पदों पर आहूत चयन समिति की बैठक की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार किया ।

परिषद ने महामहिम कुलाधिपति के आदेश सं0-ई.-3799/जी.एस. दिनांक 07.07.08 के अन्तिम प्रस्तर में, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि चयन समिति की संस्तुतियों को कार्यपरिषद में समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करके सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाए के सम्बन्ध में यह जिज्ञासा व्यक्त की कि समयबद्ध का तात्पर्य एवं निर्धारित समय सीमा की जानकारी के उपरान्त ही चयन समिति की संस्तुतियों पर विचार किया जाना समीचीन होगा । इस सम्बन्ध में कुलसचिव ने परिषद को अवगत कराया कि अधिनियम की धारा 31(8)(ए)(ए) के अन्तर्गत महामहिम कुलाधिपति द्वारा चूंकि किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं है, अतएव परिषद अनुमोदन पर विचार कर सकती है । कुलसचिव ने यह भी संसूचित किया कि महामहिम के आदेश के उपरान्त चूंकि पुनः कतिपय शिकायतों के दृष्टिगत महामहिम कार्यालय को संदर्भित किया गया था एवं महामहिम के प्रमुख सचिव के आदेश दिनांक 19.02.2009 को प्राप्त हुए है, अतएव विश्वविद्यालय स्तर पर किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ है ।

परिषद ने प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि महामहिम कुलाधिपति के आदेश सं0-ई.-3799/जी.एस. दिनांक 07.07.08 में प्रयुक्त शब्द 'समयबद्ध' व वाक्यांश 'सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत' के सम्बन्ध में यथोचित दिशा-निर्देश प्राप्त कर लिया जाय ।

अन्त में माननीय कुलपति जी को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(प्रो. हर्ष कुमार सहगल)
कुलपति / अध्यक्ष

02/03/09
(महेश चन्द्र)
कुलसचिव / सचिव